

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे पहिचान हो।



ग्राम : पूनीसिटी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (निवास)  
फैक्स : (0091-0751-2341766  
E-mail :  
jures\_gwl@rediffmail.com  
Website :  
http://www.jyoti.edu/

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 4725

दिनांक : 31/03/12

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09 फरवरी 2012 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार पीस कॉलेज ऑफ एज्युकेशन मेहगांव, जिला-भिण्ड को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. प्रथम वर्ष -आ.पा. इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, बी.एस.सी प्रथम वर्ष- बायोग्रुप/मैट्सग्रुप, बी.कॉम. प्रथम वर्ष- प्लेन/कम्प्यूटर एप्लीकेशन, (अति.वि.), बी.सी.ए. प्रथम वर्ष, बी. बी.ए. प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

### शर्तें/प्रतिबंध :-

- 05 नये कम्प्यूटर तथा कोर्स से सम्बन्धित लीगल साफ्टवेयर तथा साइंस लैब में 20 हजार के उपकरण एवं सामान क्रय किया जावे।
- प्राचार्य, शिक्षकों, लाइब्रेरियन एवं स्पोर्ट ऑफिसर की नियुक्ति 28(17) में की जावे।
- सभी रजिस्टर्ड को विधिवत एवं अद्यतन किया जावे तथा रु. 25,000/- की पुस्तकें क्रय की जावें।

सीट संख्या - बी.ए. - 60, बी.एस-सी. (गणित) - 40, बी.एस-सी. (बायो.) - 40,  
बी.कॉम. - 60, बी.सी.ए. - 30, बी.बी.ए. - 30

आदेशानुसार

कुलसचिव

### प्रति,

- प्राचार्य, पीस कॉलेज ऑफ एज्युकेशन मेहगांव, जिला-भिण्ड।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा-कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ब्राह्म : सुबीचरिंटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/504

दिनांक: 08/16/12

## //संशोधित सूचना //


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध पीस कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, मेंहगॉव, शिण्ड को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. द्वितीय वर्ष -आ.पा. इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, बी.एस.सी द्वितीय वर्ष- बायोसुप/मेक्सुप, बी.कॉम. द्वितीय वर्ष- प्लेन/कम्प्यूटर एप्लीकेशन, (अति.वि.), बी.सी.ए. द्वितीय वर्ष, बी.बी.ए. द्वितीय वर्ष, बी.एच.एस-सी-प्रथम वर्ष, बी.एस-सी. प्रथम वर्ष कम्प्यूटर साइंस अति.विषय एवं बी.ए. प्रथम वर्ष हिन्दी साहित्य अति. विषय पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

1. प्रो. एस.के. द्विवेदी, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
2. प्रो. राधा तोमर, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
3. डॉ. एस.के. गुप्ता, उपाचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
4. डॉ. एस.के. सिंह, उपाचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
5. डॉ. शैलजा जैन, शासकीय के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचय 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्रों के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित पत्रों महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं कराता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को इण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिचय 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को सी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 10 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)